

**न्यायालय :- सहायक कलक्टर आमेर,  
मुख्यालय जयपुर (राज.)**

**पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी  
आर.ए.एस.**

वाद संख्या- 116/2025

वाद प्रस्तुति दिनांक 16.07.2025

ओम प्रकाश शर्मा पुत्र श्री डूंगर मल शर्मा, उम्र 66 साल, निवासी गांव सुदर्शनपुरा,  
पटवार हल्का खन्नीपुरा, तहसील-जालसू, जिला जयपुर (राज.)

-वादी

बनाम

1. बनवारीलाल पुत्र श्री डूंगरमल,
2. राजेन्द्र पुत्र डूंगरमल
3. सुरेन्द्र पुत्र डूंगरमल
4. हरिनारायण पुत्र डूंगरमल
5. मुकेश पुत्र लालचन्द
6. मनोज पुत्र लालचन्द समस्त जाति-ब्राह्मण, निवासी ग्राम सुदर्शनपुरा, पटवार हल्का  
खन्नीपुरा, तहसील जालसू, जिला-जयपुर।
7. उप-पंजीयक, कार्यालय जालसू, जिला जयपुर।
8. पटवारी हल्का, पटवार मण्डल खन्नीपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर।



.....प्रतिवादीगण

**दावा तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188  
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**उपस्थिति :-**

1. अंकित चौधरी- अधिवक्ता वादी की ओर से
2. अजय कुमार गुप्ता - अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की ओर से

दिनांक 25.02.2026

**निर्णय**

हस्तगत वाद पत्र में वादी द्वारा अंकित किया गया है कि राजस्व ग्राम सुदर्शनपुरा, पटवार हल्का खन्नीपुरा, भू.अभि.नि. राधाकिशनपुरा, तहसील-जालसू, जिला-जयपुर राजस्थान की सरहद में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 की संयुक्त कब्जे काश्त एवं संयुक्त राजस्व रिकार्ड की निम्न खाता व खसरा नम्बर की अविभाजित कृषि भूमि अवस्थित है। आराजी कृषि भूमि खाता संख्या नया 8 पुराना 7 खसरा नम्बर 425 रकबा 2.6100 हैक्टेयर, 429 रकबा 1.0800 हैक्टेयर कुल 2 कुल रकबा 3.6900 हैक्टेयर स्थित है। दावा की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 की संयुक्त हक, हिस्से एवं संयुक्त राजस्व रिकार्ड की कृषि भूमियां है, जिनमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 मुताबिक

*Bmj*  
सहायक कलक्टर  
जयपुर



राजस्व रिकार्ड जमाबंदी के हक हिस्सा एवं खातेदारी है। वादी, प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 वादाधीन कृषि आराजियात के रिकार्ड्ड खातेदार-काश्तकार है, वादाधीन कृषि आराजियात संयुक्त रिकार्ड की अविभाजित भूमियां है। इसलिए वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य दावा की चरण संख्या-1 में वर्णित कृषि आराजियात का राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में वर्णित हक हिस्से के मुताबिक बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन कर अलग-अलग नींव सीव कायम किया जावे।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जरिये रजिस्टर्ड एडी आदेशित किया गया। प्रतिवादी संख्या 6 को जवाब दावे हेतु अनेक अवसर देने के उपरांत भी जवाब दावा पेश नहीं करने पर जवाब दावे का अवसर बंद किया गया।

जवाब दावा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 की ओर से पेश किया गया जिसके मुख्य तथ्य यह है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 ने भी बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन किया जाकर खाता, नक्शा एवं लगान पृथक-पृथक कामय किया जाना चाहा है।

प्राथमिक डिक्री पर बहस सुनी गई। वादी ने बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर डिक्री हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत तर्कों, दस्तावेजों के आधार पर वाद वादी बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर प्राथमिक डिक्री किया जाता है। तदनुसार तहसीलदार जालसू जयपुर को आदेशित किया जाता है कि वे वाके राजस्व ग्राम सुदर्शनपुरा, पटवार हल्का खन्नीपुरा, भू.अभि.नि. राधाकिशनपुरा, तहसील-जालसू, जिला-जयपुर भूमि आराजी कृषि भूमि खाता संख्या नया 8 पुराना 7 खसरा नम्बर 425 रकबा 2.6100 हैक्टेयर, 429 रकबा 1.0800 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 3.6900 हैक्टेयर का राज0 टीनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) रुल्स के नियम 18 से 21 की पालना गम्भीरता से करते हुए तथा जमाबंदी में अंकित हिस्से अनुसार, सभी को नोटिस देकर कुर्रेजात प्रस्तुत मय नक्शा तीन-तीन प्रतियो में भिजवाना हेतू आदेशित किया गया। तदनुसार प्राथमिक डिक्री जारी की गई।

तहसीलदार जालसू ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक/भू0अ0/2026/231 दिनांक 29.01.2026 के द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये गये। प्रतिवादी 1 ता 5 की कुर्रेजात पर बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने कुर्रेजात पर कोई आपत्ति नहीं की। प्रस्तुत तर्कों के आधार पर वाद तदनुसार तहसीलदार जालसू जयपुर से प्राप्त

कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :-

*Buzi*  
मुकेश पुत्र लालचंद हि. 145/279, मनोज पुत्र लालचंद हि. 134/279 जाति ब्राह्मण, सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 425/1 रकबा 0.5580 है. भूमि रहेगी।

2. ओमप्रकाश पुत्र डूंगरमल जाति ब्राह्मण, सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 425/4 रकबा 0.5280 है., 429/1 रकबा 0.0300 है. कुल किता 2 कुल रकबा 0.5580 है. भूमि रहेगी।
3. राजेन्द्र पुत्र डूंगरमल जाति ब्राह्मण, सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 425/5 रकबा 0.5110 है., 429/2 रकबा 0.0470 है. कुल किता 2 कुल रकबा 0.5580 है. भूमि रहेगी।
4. सुरेन्द्र पुत्र डूंगरमल जाति ब्राह्मण, सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 425/7 रकबा 0.5580 है. भूमि रहेगी।
5. हरिनारायण पुत्र डूंगरमल जाति ब्राह्मण, सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 425/8 रकबा 0.1180 है., 429/5 रकबा 0.4400 है. कुल किता 2 कुल रकबा 0.5580 है. भूमि रहेगी।
6. बनवारीलाल पुत्र डूंगरमल जाति ब्राह्मण, सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 429/3 रकबा 0.5580 है. भूमि रहेगी।
7. ओमप्रकाश पुत्र डूंगरमल हि. 26/135, राजेन्द्र पुत्र डूंगरमल हि. 26/135, सुरेन्द्र पुत्र डूंगरमल हि. 26/135, हरिनारायण पुत्र डूंगरमल हि. 26/135 बनवारीलाल पुत्र डूंगरमल हि. 1/27, मुकेश पुत्र लालचंद हि. 14/135, मनोज पुत्र लालचंद हि. 12/135 जाति ब्राह्मण, सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 425/2 रकबा 0.2700 है. भूमि रहेगी।
8. ओमप्रकाश बनवारी लाल राजेन्द्र सुरेन्द्र हरिनारायण पि0 डूंगरमल हि. 5/6, मुकेश पुत्र लालचंद हि. 11/126, मनोज पुत्र लालचन्द हिस्सा 5/63 जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 425/3 रकबा 0.0300 है., 425/6 रकबा 0.0370 है., 429/4 रकबा 0.0050 है. भूमि रहेगी।

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये रथाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार जालसू को तहरीर जारी हो। पत्रावली फौसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।



*B. S. S.*  
सहायक कलक्टर  
आमेर म. जयपुर  
आमेर म. जयपुर

अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई  
(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)  
पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी  
आर.ए.एस

वाद संख्या- 116/2025

वाद प्रस्तुति दिनांक 16.07.2025

ओम प्रकाश शर्मा पुत्र श्री डूंगर मल शर्मा, उम्र 66 साल, निवासी गांव सुदर्शनपुरा,  
पटवार हल्का खन्नीपुरा, तहसील-जालसू, जिला जयपुर (राज.)

-वादी

बनाम

3. बनवारीलाल पुत्र श्री डूंगरमल,
4. राजेन्द्र पुत्र डूंगरमल
3. सुरेन्द्र पुत्र डूंगरमल
5. हरिनारायण पुत्र डूंगरमल
5. मुकेश पुत्र लालचन्द
6. मनोज पुत्र लालचन्द समस्त जाति-ब्राह्मण, निवासी ग्राम सुदर्शनपुरा, पटवार हल्का  
खन्नीपुरा, तहसील जालसू, जिला-जयपुर।
7. उप-पंजीयक, कार्यालय जालसू, जिला जयपुर।
8. पटवारी हल्का, पटवार मण्डल खन्नीपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर।

.....प्रतिवादीगण

दावा तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188  
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार  
डिक्री किया जाता है:-

1. मुकेश पुत्र लालचंद हि. 145/279, मनोज पुत्र लालचंद हि. 134/279 जाति  
ब्राह्मण, सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 425/1 रकबा 0.5580 है. भूमि  
रहेगी।
2. ओमप्रकाश पुत्र डूंगरमल जाति ब्राह्मण, सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर  
425/4 रकबा 0.5280 है., 429/1 रकबा 0.0300 है. कुल किता 2 कुल रकबा 0.  
5580 है. भूमि रहेगी।
3. राजेन्द्र पुत्र डूंगरमल जाति ब्राह्मण, सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 425/5  
रकबा 0.5110 है., 429/2 रकबा 0.0470 है. कुल किता 2 कुल रकबा 0.5580 है.  
भूमि रहेगी।
- सुरेन्द्र पुत्र डूंगरमल जाति ब्राह्मण, सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 425/7  
रकबा 0.5580 है. भूमि रहेगी।

*Bmi*  
सहायक कलक्टर  
जयपुर

5. हरिनारायण पुत्र डूंगरमल जाति ब्राह्मण, सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 425/8 रकबा 0.1180 है., 429/5 रकबा 0.4400 है. कुल किता 2 कुल रकबा 0.5580 है. भूमि रहेगी।
6. बनवारीलाल पुत्र डूंगरमल जाति ब्राह्मण, सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 429/3 रकबा 0.5580 है. भूमि रहेगी।
7. ओमप्रकाश पुत्र डूंगरमल हि. 26/135, राजेन्द्र पुत्र डूंगरमल हि. 26/135, सुरेन्द्र पुत्र डूंगरमल हि. 26/135, हरिनारायण पुत्र डूंगरमल हि. 26/135 बनवारीलाल पुत्र डूंगरमल हि. 1/27, मुकेश पुत्र लालचंद हि. 14/135, मनोज पुत्र लालचंद हि. 12/135 जाति ब्राह्मण, सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 425/2 रकबा 0.2700 है. भूमि रहेगी।
8. ओमप्रकाश बनवारी लाल राजेन्द्र सुरेन्द्र हरिनारायण पि0 डूंगरमल हि. 5/6, मुकेश पुत्र लालचंद हि. 11/126, मनोज पुत्र लालचन्द हिस्सा 5/63 जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 425/3 रकबा 0.0300 है., 425/6 रकबा 0.0370 है., 429/4 रकबा 0.0050 है. भूमि रहेगी।

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार रामपुरा जालसू को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

वसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 25.02.2026 को जारी किया।

दस्तख्त  
ओहदा



*Bmsi*  
सहायक कलक्टर  
आमेर मु० जयपुर  
जानेर मु० जयपुर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रुपये	-	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रुपये	-
स्टाम्प वकालतनामा	2 रुपये	-	स्टाम्प वकालतनामा	2 रुपये	-
स्टाम्प वजह सबूत	-	-	स्टाम्प वजह सबूत	-	-
महन्ताना वकील	-	-	महन्ताना वकील	-	-
खर्चा गवाहन	-	-	खर्चा गवाहन	-	-
फीस कमिश्नर	-	-	फीस कमिश्नर	-	-
बबत् इजराय हुक्मानामा	-	-	बबत् इजराय हुक्मानामा	-	-
मुत्फरित	4 रुपये	-	मुत्फरित	4 रुपये	-
मीजान	-	-	मीजान	-	-

*Bmsi*  
सहायक कलक्टर  
आमेर मु० जयपुर

